मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः28.01.2025

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित बालअपचारी सहित 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियोग से सम्बन्धित धनराशि ₹ 25000/- नगद व एक अदद मोबाइल बरामद तथा चोरी/लूट की अन्य घटनाओं से सम्बन्धित 04 अदद मोबाइल भी बरामद —

थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः26.01.2025 को वादी जाफर पुत्र झम्मन निवासी ओलन्दा थाना कैथोड़ा जनपद भरतपुर,राजस्थान द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत टोल प्लाजा के पास ट्रक की केबिन लॉक कर सो रहे वादी के बड़े अब्बा के पुत्र राईस का जेब काटकर नगदी व एक अदद मोबाइल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-18/2025 धारा 305(b)बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रभारी निरीक्षक अहरौरा को अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी कराये जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पुलिस द्वारा पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः 28.01.2025 को उप-निरीक्षक अमरनाथ यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1.जावेद पुत्र इस्लाम निवासी दुर्गाजी पहाड़ी नई बस्ती थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, 2.समीर खान पुत्र सज्जाक, 3.विशाल चौहान पुत्र बचाऊ चौहान निवासी बौलिया कटरा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा एक नफर बाल अपचारी को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उपरोक्त के कब्जे से चोरी की धनराशि ₹ 8100 नगद व 02 अदद मोबाइल तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू व एक अदद ब्लेड, अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से चोरी की धनराशि ₹ 5400 नगद व एक अदद मोबाइल, अभियुक्त विशाल चौहान उपरोक्त के कब्जे से चोरी की धनराशि ₹ 7000 नगद व एक अदद मोबाइल तथा बालअपचारी के कब्जे से ₹ 4500 नगद व एक अदद मोबाइल बरामद किया गया। इस प्रकार गिरफ्तार/पकड़े गए सभी अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की धनराशि ₹ 25000/- नगद व एक अदद मोबाइल तथा चोरी/लूट की अन्य घटनाओं से सम्बन्धित 04 अदद मोबाइल तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू व एक अदद ब्लेड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनका एक पांच सदस्यीय गैंग है जो चोरी/लूट की घटना कारित करते है। जिनके द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना के बारें में बताया गया कि ये थके हारे ट्रक चालक/परिचालक के आराम करने के दौरान समय देखकर ट्रक की लॉक केबिन के शीशे में लगी रबर को काटकर शीशा निकालते है और अन्दर आराम कर रहे चालक/परिचालक की पॉकेट में ब्लेड मारकर पैसा व मोबाइल चुरा लेते है। गिरफ्तार/पकड़े गए अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल/किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।